न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पूर्वोत्तर रेलवे), वाराणसी।

दाण्डिक वाद संख्या–2934 / 2025

सरकार **बनाम** **भागीरथी**

अपराध संख्या–44 / 2025
धारा– 154 रेलवे अधिनियम
थाना– आर.पी.एफ पोस्ट–कप्तानगंज

बयान मुल्जिम

नाम– भागीरथी पुत्र रामटहल गौड़ निवासी छरदही थाना कलवारी जिला कुशीनगर।

1–प्रश्नः– यह कि आपके विरूद्ध रेलवे की पुलिस द्वारा धारा–154 रेलवे अधिनियम के तहत आरोपपत्र प्रेषित किया है इस सम्बन्ध मे आपको क्या कहना है?
उत्तरः– सही दाखिल किया है ।
2–प्रश्नः–क्या आप स्वेच्छया अपना जुर्म स्वीकार कर रहे है?
उत्तरः– जी हॉ
3–प्रश्नः–क्या आपको पता है कि आपकी स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आपको सजा हो सकती है?
उत्तरः– जी हॉ
4–प्रश्नः–क्या आपको सफाई देनी है?
उत्तरः– जी नहीं
5–प्रश्नः–क्या आपको कुछ और कहना है?
उत्तरः– माफी मॉगता हूँ ।

दिनांकः–03.08.2026

(प्रशान्त मिश्रा II)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पूर्वोत्तर रेलवे,वाराणसी ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 2286

आदेश

अभियुक्त **भागीरथी पुत्र रामटहल गौड़** के द्वारा अंतर्गत धारा 154 रेलवे अधिनियम के अपराध को स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। अतः उसके द्वारा स्वेच्छया स्वीकारोक्ति पर अभियुक्त को धारा–154 रेलवे अधिनियम में दोषसिद्व करते हुए मु0 **1500 /–** रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 7 दिनों के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिनांकः–03.08.2026

(प्रशान्त मिश्रा II)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 2286

यह निर्णय व आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित होकर सुनाया गया

दिनांकः–03.08.2026

(प्रशान्त मिश्रा II)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी ।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 2286

Digitally signed by Prashant Mishra
Date: 2026.08.10 10:49:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court